



सं. सीबीएसई/सीई/एसपीएस/2018

12.10.2018

**सभी सीबीएसई से सम्बद्ध सभी विद्यालयों के प्रमुख**

**विषय: स्कूल / छात्रों द्वारा सीबीएसई से निवेदन करने की प्रक्रिया**

**प्रिय महोदया / महोदय,**

आप जानते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने क्षेत्राधिकार के तहत स्कूलों और छात्रों को सेवा देने के लिए देश में 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों और उनके अधिकार क्षेत्र का विवरण सीबीएसई वेबसाइट पर दिया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय स्कूलों और छात्रों को सीबीएसई के उपविधियों के अनुसार परीक्षा के मुद्दों को हल करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। परीक्षा उपविधियों में उल्लिखित नीति और प्रक्रिया के अनुसार, हितधारकों से प्राप्त सभी अनुरोध क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संसाधित किए जाते हैं। ये निवेदन शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा या मुख्यालय में अध्यक्ष/परीक्षा नियंत्रक द्वारा तय किए जाते हैं।

हाल के दिनों में, यह देखा गया है कि प्रधानाचार्य / स्कूल, छात्र और अभिभावक सीधे वरिष्ठ अधिकारियों, सीबीएससी, मुख्यालय दिल्ली को निवेदन भेज रहे हैं। चूंकि निवेदनों पर कार्रवाई मुख्यालय में नहीं जाती है और इसलिए इन निवेदनों को कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया जाता है। इससे निवेदनों पर कार्रवाई में देरी होती है।

देरी से बचने के लिए, निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं: -

- सभी स्कूलों के प्रमुखों को अपने पत्राचार केवल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना चाहिए।
- अभिभावकों / छात्रों को स्कूलों द्वारा अवगत कराया जाता है कि यदि वे कोई निवेदन करना चाहते हैं, तो केवल स्कूल को ही करना चाहिए।
- स्कूल के प्रमुख परीक्षा उपविधियों के अनुसार सिफारिशें करेंगे और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजेंगे।

जिस विषय के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध किया जाना है, उसका विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। वर्षवार डुप्लिकेट दस्तावेज जारी करने और क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में जानकारी दी गई है को अनुलग्नक-II में दी गई है। डुप्लिकेट दस्तावेज जारी करने का शुल्क अनुलग्नक-III में दिया गया है।

इसलिए, सीबीएसई की ओर से शीघ्र और समय पर कार्रवाई करने के लिए उचित माध्यम के अनुसार निवेदन करने की सलाह दी जाती है।

भवदीय,

हस्ता/-

(डॉ. संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रक